पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली

भाग I: दिनांक 31 दिसंबर 2014 को समाप्त होने वाली तिमाही और वर्ष के लिए अंकेक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

(लाख रूपए में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त होने वाली तिमाही के लिए स्टैंडअलोन			समाप्त होने वाले वर्ष के लिए स्टैंडअलोन		समेकित रूप से वर्ष को समाप्त वाले	
		31-03-2014	31-12-2013	31-03-2013	31-03-2014	31-03-2013	31-03-2014	31-03-2013
		(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
1)	प्रचालन से होने वाली आय							
	(क) प्रचालन से होने वाली आय	549,875	534,086	456,456	2,097,871	1,692,291	2,098,045	1,692,290
	(ख) अन्य प्रचालन आय	13,361	19,966	10,439	54,371	34,323	63,408	38,852
	प्रचालन से कुल आय	563,236	554,052	466,895	2,152,242	1,726,614	2,161,453	1,731,142
2)	व्यय							
	(क) ब्याज, वित्तीय और अन्य प्रभार	355,759	345,226	290,178	1,374,813	1,116,045	1,375,602	1,116,472
	(ख) कर्मचारी लाभ व्यय	1,642	2,076	2,342	7,956	8,094	9,101	9,082
	(ग) मूल्यह्रास और ऋणमोचन	122	124	145	493	570	523	596
	(घ) अन्य व्यय	6,921	1,816	1,773	14,653	5,842	15,254	6,240
	कुल व्यय	364,444	349,242	294,438	1,397,915	1,130,551	1,400,480	1,132,390
3)	अन्य आय और असाधारण मदों से पूर्व प्रचालन से लाभ (1-2)	198,792	204,810	172,457	754,327	596,063	760,973	598,752

4)	अन्य आय	373	679	139	1,504	641	1,469	600
5)	असाधारण मदों से पहले साधारण कार्यकलापों से लाभ (3+4)	199,165	205,489	172,596	755,831	596,704	762,442	599,352
6)	असाधारण मदें	--	--	--	--	--	--	--
7)	कर पूर्व साधारण कार्यकलापों से लाभ (5+6)	199,165	205,489	172,596	755,831	596,704	762,442	599,352
8)	कर संबंधी व्यय	58,024	52,058	43,183	214,056	154,744	216,258	155,578
	(क) आयकर के लिए प्रावधान आस्थगित कर देयता /	66,043	63,234	47,355	208,613	141,508	210,821	142,390
	(ख) आस्थगित कर परिसंपत्ति (-)	-8,019	-11,176	-4,172	5,443	13,236	5,437	13,188
9)	कर पश्चात साधारण कार्यकलापों से निबल लाभ (7-8)	141,141	153,431	129,413	541,775	441,960	546,184	443,774
10)	असाधारण मदें (कर संबंधी निबल व्यय)	--	--	--	--	--	--	--
11)	अवधि के लिए निबल लाभ (9-10)	141,141	153,431	129,413	541,775	441,960	546,184	443,774
12)	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (शेयर का अंकित मूल्य 10 रू. है)	132,004	132,004	132,002	132,004	132,002	132,004	132,002
13)	पुनर्मूल्यांकन संबंधी आरक्षित निधियों	--	--	--	2,605,457	2,225,613	2,620,223	2,235,970

	को छोड़कर आरक्षित निधियां (31 मार्च को अंकेक्षित तुलन पत्र की स्थिति के अनुसार)							
14)	प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (रू. में)							
	(क) आधारभूत और तनुकृत ईपीएस (असाधारण मदों से पहले) (रू. में)	10.69	11.62	9.80	41.04	33.48	41.38	33.62
	(ख) आधारभूत और तनुकृत ईपीएस (असाधारण मदों के बाद) (रू. में)	10.69	11.62	9.80	41.04	33.48	41.38	33.62

भाग II : दिनांक 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाली तिमाही और वर्ष के लिए चुनिंदा सूचना								
क.	शेयरधारिता के विवरण							
1	सार्वजनिक शेयरधारिता:							
	शेयरों की संख्या	359,085,115	346,978,307	346,953,346	359,085,115	346,953,346	359,085,115	346,953,346
	शेयरधारिता का प्रतिशत	27.20%	26.29%	26.28%	27.20%	26.28%	27.20%	26.28%
2	प्रमोटरों की शेयरधारिता							
	(क) बंधक / रेहन रखे गए							
	शेयरों की संख्या	--	--	--	--	--	--	--
	शेयरों का प्रतिशत (प्रमोटरों की कुल शेयरधारिता के % के रूप में)	--	--	--	--	--	--	--
	शेयरों का प्रतिशत (कंपनी की कुल शेयर पूंजी के % के रूप में)	--	--	--	--	--	--	--
	(ख) बंधक / रेहन न रखे गए							
	शेयरों की संख्या	960,955,589	973,061,665	973,061,665	960,955,589	973,061,665	960,955,589	973,061,665
	शेयरों का प्रतिशत (प्रमोटरों की कुल	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	शेयरधारिता के % के रूप में) शेयरों का प्रतिशत (कंपनी की कुल शेयर पूंजी के % के रूप में)		72.80%	73.71%	73.72%	72.80%	73.72%	72.80%	73.72%
ख	निवेशकों की शिकायतें								
	विवरण			इक्विटी शेयर			कर्ज संबंधी प्रतिभूतियां		
	तिमाही की शुरूआत में लंबित			1			4		
	तिमाही के दौरान प्राप्त			37			721		
	तिमाही के दौरान निपटाई गई			36			721		
	तिमाही के अंत में अनिर्णीत			2*			4#		
				* 1 जब से निपटान किया गया			# जब से निपटान किया गया		

					(` लाख रूपए में)				
		स्टैंडअलोन और समेकित परिसंपत्तियों और देनदारियों (अंकेक्षित) का विवरण							
			स्टैंडअलोन		समेकित				
क		इक्विटी और देनदारियां	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार			
1		शेयरधारकों की निधियां							
		(क) शेयर पूंजी	132,004	132,002	132,004	132,002			
		(ख) आरक्षित और अधिशेष निधियां	2,605,457	2,225,613	2,620,223	2,235,970			
		उप जोड़ – शेयरधारकों की निधियां	2,737,461	2,357,615	2,752,227	2,367,972			
2		गैर-चालू देनदारियां							
		(क) दीर्घकालिक ऋण	14,249,157	12,115,086	14,249,157	12,115,086			
		(ख) आस्थगित कर संबंधी देनदारियां (निबल)	27,422	21,979	27,300	21,863			
		(ग) अन्य दीर्घकालिक देनदारियां	34,762	53,980	34,762	53,981			
		(घ) दीर्घकालिक प्रावधान	47,304	16,233	47,319	16,235			
		उप जोड़- गैर चालू देनदारियां	14,358,645	12,207,278	14,358,538	12,207,165			

3		चालू देनदारियां							
		(क) दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता	1,540,900	961,208	1,540,900	961,208			
		(ख) अल्पकालिक ऋण	131,449	870,997	131,473	870,997			
		(ग) अन्य चालू देनदारियां	626,175	506,382	626,859	507,044			
		(घ) अल्पकालिक प्रावधान	21,780	19,399	21,974	19,550			
		उप जोड़ – चालू देनदारियां	2,320,304	2,357,986	2,321,206	2,358,799			
		कुल – इक्विटी और देनदारियां	19,416,410	16,922,879	19,431,971	16,933,936			
ख		परिसंपत्तियां							
1		गैर-चालू परिसंपत्तियां							
		(क) स्थायी परिसंपत्तियां	7,063	7,434	7,226	7,495			
		(ख) गैर-चालू निवेश	34,834	15,766	2,360	2,303			
		(ग) दीर्घ कालिक ऋण और अग्रिम	16,879,211	14,252,417	16,881,619	14,252,417			
		(घ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	20,968	37,607	23,798	39,965			
		उप जोड़ – गैर चालू परिसंपत्तियां	16,942,076	14,313,224	16,915,003	14,302,180			
2		चालू परिसंपत्तियां							
		(क) चालू निवेश	383	383	383	383			
		(ख) नकदी और बैंक में	6,014	475,381	45,944	495,748			

		बकाया राशियां							
		(ग) दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता	1,804,295	1,545,585	1,804,375	1,545,585			
		(घ) अल्पकालिक ऋण	239,618	241,611	239,618	241,611			
		(ड़) अन्य चालू परिसंपत्तियां	424,024	346,695	426,648	348,429			
		उप जोड़ – चालू परिसंपत्तियां	2,474,334	2,609,655	2,516,968	2,631,756			
		कुल परिसंपत्त्यिां	19,416,410	16,922,879	19,431,971	16,933,936			
टिप्पणियां :-									
1		दिनांक 31.12.2014 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा और सिफारिश निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और उनकी क्रमश: दिनांक 26.05.2014 और 27.05.2014 को आयोजित की गई संगत बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा इन्हें अनुमोदित किया गया है। इन वित्तीय परिणामों की समीक्षा कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है।							
2		कंपनी का प्राथमिक व्यवसाय विद्युत क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अत: भारती सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक-17 के संदर्भ में अलग से कोई खंडात्मक रिपोर्टिंग आवश्यक नहीं है।							

3		कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमओसीए), भारत सरकार ने अपने दिनांक 18.04.2002 के परिपत्र संख्या 6/3/2001 – सीएल V के जरिए सार्वजनिक इश्यू के माध्यम से जारी डिवेंचरों के मूल्य के 50% के रूप में डिवेंचर रिडेंपशन रिजर्व (डीआरआर) की पर्याप्त सीमा निर्धारित की है; तत्पश्चात कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमओसीए) ने अपने दिनांक 11.02.2013 के परिपत्र संख्या 11/02/2012-सीएल-V(A) के माध्यम से डीआरआर की इस सीमा को 25% के रूप में संशोधित किया है। इस संबंध में कंपनी ने एमओसीए से स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध किया है, जिसकी प्रतीक्षा है। स्पष्टीकरण की प्राप्ति लंबित होने के कारण कंपनी बांड / डिवेंचरों के सार्वजनिक इश्यू के लिए डीआरआर का सृजन जारीकर्ताओं के लिए @ 50% सृजित करती है, जिसके लिए प्रोस्पेक्टस दिनांक 11.02.2013 के पहले फाईल किए गए थे और इसके बाद जारी किए जाने वाले सार्वजनिक इश्यू के लिए @ 25% सृजित करती है। .
4		कंपनी ने दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा धन संबंधी मदों पर उनके कार्यकाल के दौरान विनिमय संबंधी अंतर को ऋणमोचित करने के लिए संशोधित लेखांकन मानक (एएस)-11 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव' के पैरा 46क के अंतर्गत विकल्प दिया था। इसके परिणामस्वरूप दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा धन संबंधी मद परिवर्तन अंतर खाता (एफसीएमआईटीडीए) के तहत ऋणमोचित डेबिट बैलेंस 70.921 लाख रूपए (दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार डेबिट बैलेंस 47,797 लाख रूपए) है और तुलन पत्र के ''इक्विटी और देनदारियां'' मद में एक अलग लाइन आइटम के रूप में ''आरक्षित और अधिशेष निधियों'' के तहत दर्शाई गई है।
5		कंपनी वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान लागू की गई लेखांकन नीति के अनुरूप दिनांक 31.03.2015 को 0.25% तक इसे लाने के प्रयोजन से 0.0833 प्रतिशत प्रतिवर्ष के दर से 3 वर्ष की अवधि में वित्तीय वर्ष 2012-13 से चरणबद्ध ढंग से मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान करती आ रही है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 25.07.2013 के पत्र के जरिए यह निदेश दिया है कि सभी नई परिसंपत्तियों के लिए आदितः 0.25% की दर से प्रावधान किया जाए। तदनुसार कंपनी ने दिनांक 30.09.2013 की स्थिति के अनुसार छमाही वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देते समय चालू वर्ष में सृजित सभी नई मानक परिसंपत्तियों के लिए 0.25% की दर से प्रावधान करने के लिए अपनी लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है। निदेशक मंडल ने अपनी दिनांक 27.03.2014 को आयोजित बैठक में मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान बढ़ाने का निश्चय किया, जिससे कि इसे दिनांक 31.03.2015 के बजाय दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार 0.25% तक लाया जा सके। तदनुसार दिनांक 01.04.2013 से वर्ष के अंत में बकाया राशियों के 0.25% की दर से मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान करने हेतु दिनांक 31.03.2014 को समाप्त तिमाही के दौरान लेखांकन नीति में परिवर्तन किया गया है। दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान 64,942 लाख रूपए (दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार 13,279 लाख रूपए) है। लेखांकन नीति में इस

		परिवर्तन के कारण दिनांक 31.03.2014 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लाभ क्रमश: 11,781 लाख रूपए और 15,647 लाख रूपए घट गया है।
6		वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान भारत सरकार (जीओआई) ने गोल्डमैन सैच सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम (''जीएस सीपीएसई बीईईएस'') नामक एक निधि गठित की है, जिसका शुभारंभ गोल्डमैन सैच एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (एएमसी) द्वारा किया गया। तदनुसार मार्च 2014 में भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय ने विनिवेश विभाग की ओर से कार्य करते हुए मैसर्स गोल्डमैन सैच ऐसेट मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को प्रत्येक 10 रूपए के अंकित मूल्य वाले 1,21,06,076 इक्विटी शेयरों की बिक्री कर इसका विनिवेश किया है। विनिवेश के पश्चात कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में भारत सरकार की शेयरधारिता 73.71% से घटकर 72.80% हो गई है।
7		दिनांक 31.12.2013 तक आरएपीडीआरपी योजना के तहत नोडल एजेंसी शुल्क की गणना तीन चरणों में स्वीकृत परियोजना लागत के एक प्रतिशत की दर से की गई है- परियोजना स्वीकृत होने पर 0.40%, निधियों के संवितरण पर 0.30% और स्वीकृत परियोजना के पूरा होने पर (भाग क के लिए) और परियोजना क्षेत्रों की एटी और सी हानियों के सत्यापन के बाद (भाग ख के लिए) बकाया 0.30% । इसके अलावा आर-एपीडीआरपी परियोजना के संचालन के लिए किए गए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई। विद्युत मंत्रालय द्वारा (एमओपी) ने अपने दिनांक 15.07.2013 के पत्र के जरिए यह सूचित किया कि व्यय विभाग (डीओई) के अनुसार आर-एपीडीआरपी योजना की 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए नोडल एजेंसी शुल्क को स्वीकृत परियोजना लागत के 0.50% अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम है, तक प्रतिबंधित किया जाए। इसके अलावा विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के दिनांक 15.07.2013 के पत्र के आधार पर कंपनी ने आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत की गई स्वीकृतियों पर 0.50% की दर से नोडल एजेंसी शुल्क पर विचार करने के लिए अपने दिनांक 22.08.2013 के लिए पत्र के जरिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और 12वीं पंचवर्षीय योजना से आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत किए गए वास्तविक व्यय (पीएफसी के जनशक्ति पर किए गए व्यय को छोड़कर) की प्रतिपूर्ति पर विचार किया जाए। प्रस्ताव विद्युत मंत्रालय में विचाराधीन है। इस पर अंतिम निर्णय लंबित होने के कारण 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए नोडल एजेंसी शुल्क / व्यय की प्रतिपूर्ति की गणना वर्ष के दौरान (01.04.2012 से) विद्युत

		मंत्रालय के दिनांक 15.07.2013 के पत्र के जरिए बीओई द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार अनंतिम आधार पर की गई। तदनुसार, नोडल एजेंसी शुल्क से होने वाली 1,850 लाख रूपए की राशि (वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए 1843 लाख रूपए और वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए 7 लाख रूपए) को तिमाही के दौरान मान्यता दी गई है। इसके अलावा आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत आवंटित किए जाने वाले व्यय के मद में 4,259 लख रूपए (विद्युत मंत्रालय भारत सरकार से वसूल किए जाने योग्य पहले बुक किए गए वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए 2181 लाख रूपए की राशि सहित) की गणना की गई है और इसे अन्य व्यय में शामिल किया गया है।
8		कंपनी को एक सरकार के स्वामित्व वाली एक गैर बैंकिंग कंपनी होने के नाते सर्वोच्च शर्तों से संबंधित आरबीआई के निर्देशों से छूट प्राप्त है और यह इस संबंध में विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार (जीओआई) द्वारा अनुमोदित अपनी स्वयं की सर्वोच्च शर्तों का अनुपालन करती है। आरबीआई ने अपने दिनांक 03.04.2014 के पत्र के जरिए कंपनी को क्रेडिट कंसंट्रेशन नॉर्म्स और पुनर्गठन / पुनर्अनुसूचियन / पुनः मोलभाव (आर / आर / आर) से संबंधित मामलों में केंद्र / राज्य सरकार के निकायों को एक्सपोजर के संबंध में 31.03.2016 तक छूट देने की अनुमति दी है। आरबीआई ने कंपनी को अपने दिनांक 03.04.2014 के पत्र के जरिए आरबीआई के दिनांक 23.01.2014 के परिपत्र संख्या डीएनबीएस. सीओ. पीडी. संख्या 367 / 03.10.01 / 2013-14 में निहित अनुदेशों का अनुपालन करने की सलाह दी है। इस संबंध में कंपनी ने अपने दिनांक 25.04.2014 के पत्र के जरिए परिसंपत्तियों के आर/आर/आर पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए एक कार्यान्वयन रणनीति आरबीआई के विचारार्थ प्रस्तुत की है और साथ ही यह उल्लेख किया है कि पीएफसी अपनी मौजूदा सर्वोच्च शर्तों में निहित पुनर्गठन संबंधी प्रावधानों का उस समय तक अनुपालन करेगा, जब तक आरबीआई द्वारा इस संदर्भ में कोई आगामी आदेश जारी नहीं कर दिए जाते हैं। विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार ने अपने दिनांक 15.05.2014 के पत्र के जरिए आरबीआई से कंपनी द्वारा सूचित की गई कार्यान्वयन रणनीति पर विचार करने का भी अनुरोध किया है। आरबीआई का उत्तर प्रतीक्षित है। चूंकि कंपनी आर/आर/आर से संबंधित विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित शर्तों का अनुपालन करती है, अतः प्रबंधन का यह विचार है कि आर/आर/आर पर आरबीआई की शर्तें वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए कंपनी के लिए लागू नहीं है।
9		निदेशक मंडल ने अपनी दिनांक 04.02.2014 को आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 88% की दर से अंतरिम लाभांश अर्थात प्रत्येक 10 रूपए के इक्विटी शेयर पर 8.80 रूपए प्रति शेयर के लाभांश के रूप में 1,16,164 लाख रूपए की राशि का भुगतान करने की घोषणा की। इस अंतरिम लाभांश का भुगतान दिनांक 07.02.2014 को किया गया। निदेशक मंडल ने अपनी दिनांक 04.02.2014 को आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 2% की दर से दूसरे अंतरिम लाभांश अर्थात प्रत्येक 10 रूपए के इक्विटी शेयर पर 0.2 रूपए प्रति शेयर के लाभांश के रूप में 2,640 लाख रूपए की राशि का भुगतान करने की घोषणा की है, (जिसमें कंपनी की ''पीएफसी – ईएसओपी- 2010'' शीर्षक के अंतर्गत कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत कर्मचारियों को स्वीकृत विकल्पों पर अंतिम लाभांश शामिल है), बशर्ते कि शेयरधारकों द्वारा वार्षिक आम बैठक में इसके लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया जाए।

		वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए कुल अंतरिम लाभांश कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 90% अर्थात प्रत्येक 10 रूपए के इक्विटी शेयर पर 9 रूपए प्रति शेयर रहा ।
10		दिनांक 31.03.2014 को समाप्त तिमाही के दौरान कंपनी ने कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अंतर्गत प्रत्येक 10 रूपए के 732 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी में 0.07 लाख रूपए की वृद्धि हुई है और प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित निधि 1.18 लाख रूपए बढ़ गई है।
11		कर संबंधी व्यय में चालू वर्ष के लिए कर प्रावधान और पूर्ववर्ती वर्षों के कर संबंधी व्यय/ समायोजन शामिल हैं।
12		दिनांक 31.03.2014 को समाप्त तिमाही के आंकड़े दिनांक 31.12.2013 को समाप्त नौ माह की अवधि के लिए अनंकेक्षित आंकड़ों और दिनांक 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए अनंकेक्षित आंकड़ों के बीच संतुलित आंकड़े हैं।
13		संवर्ती अवधि के वर्गीकरण की पुष्टि के लिए आवश्यक होने पर पूर्ववर्ती अवधि के लिए आंकड़ों को पुन: समूहबद्ध / पुन: वर्गीकृत किया गया।

स्थान : नई दिल्ली	(एम. के. गोयल)
दिनांक : 27.05.2014	निदेशक (वाणिज्यिक) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन - 00239813